न्यायालय: — द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.) श्रृंखला न्यायालय—बैहर (पीठासीन अधिकारी—माखनलाल झोड़)

C.R.A./11/2017 Filling No. C.R.A./316/2017 CNR MP 500500005492017 संस्थित दिनांक — 10.02.2015

<u>अपीलार्थी गण।</u>

- 1- मुन्नालाल पिता हीरासिंह मेरावी उम्र 30 वर्ष जाति गोंड
- 2— संतराम पिता हिरउसिंह मेरावी जाति गोंड दोनों निवासी—ग्राम तितरी थाना रेंगाखार जिला कवधा{छ.ग.} — — — — —

/ <u>विरूद्</u>द

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र– बिरसा, तहसील बैहर जिला बालाघाट – – <u>उत्तरवादी</u>

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी / राज्य (

-/// <u>निर्णय</u> ///-(आज दिनांक **01 मई 2017** को घोषित)

- 1. अपीलार्थी / अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री कृष्णदास महार, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 2558 / 2014 शासन बनाम जगनिसंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2015 से परिवेदित होकर पेश की गई है।
- 2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 02.03.2002 को पुलिस थाना बिरसा के थाना प्रभारी एस.पी. सिसोदिया को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तितरी थाना रेंगाखार जिला कवर्धा छ.ग. से तीन

व्यक्ति टाईगर की खाल (चमड़ा) तस्करी के लिए बोदा मंडई रात्रि 9 से 11 बजे के मध्य आने वाले है, सूचना पर स.उ.नि. सिसोदिया मय स्टाफ के रोजनामचा सानहा 74 में 20:40 बजे सायकल से रवाना होकर ग्राम मंडई पहुंचे जहाँ पर आरक्षक रमेश ने गवाह गणेश, शिवप्रसाद, रेखलाल को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। थाना प्रभारी स्टाफ के रवाना होकर मंडई चौक, ग्राम बोदा रोड पहुंचे, ग्राम बोदा तरफ आने वाले लोगों की जॉच की। कुछ देर 3 आदमी आये एक का नाम जगनसिंह था जिसके हाथ में सफेद खाद की पोलीथीन की बोरी थी जिसे खोलकर देखे तो काले रंग की पोलीथीन की पन्नी के अंदर एक जूट की बोरी में लिपटी टाईगर की खाल मिली, पूछने पर जंगनसिंह ने बताया कि वह साथी मुन्नालाल, संतराम के साथ टाईगर की खाल बेचने जंगल के कच्चे रास्ते से गोंदिया महाराष्ट्र जा रहा है, की पुष्टि जगनसिंह के दोनों साथियों ने की थी। मौके पर टाईगल की खाल जप्ती की गई, आरोपीगण को गिरप्तार कर अपराध कमांक 14 / 2002, अंतर्गत धारा 9, 49बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 9, 49,बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पत्र बैहर न्यायालय पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्षियों के कथनों की सूक्ष्मता से विवेचना न कर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है, निरस्त किए जाने योग्य है, अभियोजन साक्षी गुणेशप्रसाद, रेखलाल ने घटना का समर्थन नहीं किया है, हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया है, सूचना के संबंध में साक्षियों के कथनों में / दस्तावेज में विरोधाभाष है, रवानगी सान्हा, मुखबिर सूचना पंचनामा, अन्य सान्हा को असल रोजनामचा द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, टाईगर की खाल मुख्य आरोपी जगनसिंह से जप्त की गई, अपीलार्थीगण से कोई जप्ती नहीं है, घटनास्थल मंडई चौक बताया गया है, में काफी लोगों की भीड़ रहती है, शक के आधार पर अपीलार्थीगण के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया, अ.सा. 5 एस.पी. सिसोदिया द्वारा जप्ती कर मामला कायम किया

गया है और संपूर्ण विवेचना भी इसी साक्षी द्वारा की गई है, जो आपराधिक विचारण में त्रुटि दर्शाता है, का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना चाहिए।

4. अपीलाधीगण से मेमोरेण्डम नहीं लिया गया है, न ही घटनास्थल का कोई मौकानक्शा बनाया गया है, आरोपीगण की तलाशी का पंचनामा भी नहीं बनाया गया है, जप्ती पूर्व तलाशी पंचनामा नहीं बनाया गया है, जप्तशुदा टाईगर के चमड़े को सुरक्षित रखे जाने का प्रमाण विचारण के दौरान पेश नहीं किया गया है, संदेह से परे अपीलार्थीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं कर पाया है, अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ देते हुए अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किए जाने की याचना की गई है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

क्या विद्धान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क. 2558/14, शासन विरूद्ध जगनसिंह उर्फ ढड्डू वगैरह निर्णय दिनांक 13.01.2015 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य हैं ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

- 6. गुनेशप्रसाद (अ.सा.1), रेखलाल (अ.सा.2) पक्षद्रोही है। इन साक्षियों ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है।
- 7. एस.पी. सिसोदिया (अ.सा.5) ने साक्ष्य दी है कि मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम बोदा की ओर से आने वाले लोगों की तलाशी ली, थोड़ी देर बाद तीन व्यक्ति आए उनमें से एक के हाथ में पॉलीथीन खाद की थैली थी, कुछ लिपटा हुआ था, खुलवाकर उस व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम जगन बताया। पॉलीथीन की थैली में जूट की थैली थी, में एक टाईगर की खाल निकली जिसकी लम्बाई 58 इंच, पंजो से पंजो की दूरी 52 इंच थी। उस खाल पर बिजली करंट के निशान थे। पूछने पर जगन और अन्य 02 व्यक्तियों ने बताया कि वे खाल को महाराष्ट्र बेचने ले जा रहे थे, मौके पर जप्ती कार्यवाही प्र.पी. 1 की थी जिसके ब से ब भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। अन्य 02 आरोपियों से कुछ जप्त नहीं किया था। शेर का शिकार कहाँ पर किया था,

का पता नहीं किया। तीनों आरोपियों को गिरप्तार कर गिरपतारी पत्रक प्र.पी. 2, प्र.पी. 3, प्र.पी. 4 का बनाया था जिनमें सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

- 8. अभिलेख पर प्र.पी. 1 के जप्ती पत्र के स्वतंत्र साक्षी गुनेशप्रसाद (अ.सा.1)और रेखलाल (अ.सा.2) है, जो प्र.पी. 1 की कार्यवाही का समर्थन नहीं करते है।
- 9. धनपाल (अ.सा.4) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि पूछताछ पर एक आरोपी ने अपना नाम जगन, दूसरे ने मुन्ना, तीसरे ने संतलाल बताया था। आरोपी जगन के पास की बोरी में शेर की खाल थी। थाना प्रभारी बिरसा ने आरोपी जगन से मौके पर टाईगर की खाल जप्त की थी, की लंबाई—चौडाई का ध्यान नहीं है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्ती के समय गांव मंडई के लोग उपस्थित थे। शेष सुझावों को इंकार किया है।
- 10. अरूण (अ.सा.३) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि उसने तीनों आरोपी जिनसे सौदा किया था, वे आ रहे थे। आरोपी जगन के हाथ में एक बोरी थी, खुलवाने पर काली पॉलीथीन में एक जूट की बोरी में शेर की खाल रखी हुई थी। सिसोदिया साहब ने पूछताछ करने पर तीनों आरोपीगण ग्राम तितरी से शेर की खाल लाना बताया था। जगन के अन्य साथियों ने अपना नाम संतलाल, मुन्नालाल बताया था। साक्षी गनेश और इकबाल के समक्ष आरोपी जगन से सिसोदिया साहब ने चमड़ा जप्त किया था। जप्ती पंचनामा प्र. पी. 1 बनाया था, तीनों आरोपीगण को गिरप्तार कर प्र.पी. 2, प्र.पी. 3, प्र.पी. 4 का गिरप्तारी पत्रक बनाया था।
- 11. रमेश जैतवार (अ.सा.६) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.03.2002 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तितरी के जगन उर्फ ढढडू सिंह, मुन्ना, संतलाल के पास टाईगर का चमड़ा है, उसे बेचने के लिए बाहर जाने वाले है, तब बैहर आए और अरूण श्रीवास्तव को वरिष्ट अधिकारियों के निर्देशानुसार ग्राम लाहबर गए, सूचना सही निकली, मुखबिर द्वारा तीनों आरोपीगण को ग्राम लाहबर बुलवाए, आरोपीगण लाहबर में मिले उनने कुबूल किया क्या उनके पास टाइगर चमड़ा है, उनसे चमड़ा बेचने का सौदा

9000 / — रू. में किया और कहा कि मंडई ग्राम बोदा रोड चमडा लेकर आना। उक्त जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया, करीब 9:30—10 बजे रात में तीनों आरोपीगण बोदा तरफ से आए, आरोपी जगन के हाथ सफेद खाद की प्लास्टिक बोरी में, काली पॉलीथीन में टाईगर का चमड़ा रखा हुआ था। बोरी खोलकर देखा, में टाईगर खाल मिली थी, सिसोदिया साहब ने अग्रिम कार्यवाही की थी, साक्षी का दूसरे दिन बयान लिया था।

- 12. वाल्मिक बंसोड़ (अ.सा.७) ने मुख्य कथन में साक्ष्य देकर अन्य साक्षियों के समान एक आरोपी के पास बोरी में खुलवाकर देखने पर शेर का चमडा मिला था। एक का नाम जगन था, दो का नाम ध्यान नहीं है, पुलिस को बयान लिया था।
- 13. अपील में अपीलार्थीगण की ओर से श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता द्व रिंग किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। राज्य की ओर से श्री डी.पी. बिसेन ए.पी.पी. द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। प्र.पी. 1 जप्ती पत्र के अनुसार जप्ती स्थान ग्राम मंडई बोदा रोड लेख है, जप्ती जगन से हुई है। प्र.पी. 1 के जप्ती पत्रक में अन्य दो आरोपीगण का नाम लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 5 में जगन के हाथ में थैली में जूट की बोरी में शेर का चमड़ा मिलना लेख है। जगन सिंह ने पूछने पर बताया था कि उसके साथ एक मुन्नालाल और संतराम के साथ वह जगन जंगल के रास्ते से महाराष्ट्र जा रहा है, किंतु उसने अभियोजन के किसी साक्षी से 9,000 / —रू. में सौदा किया था, प्रथम सूचना में नहीं है।
- 14. प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 7 के दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.पी. 6 वन्य जीव की जॉच रिपोर्ट अभिलेख पर है जिसके अनुसार टाईंगर की खाल थी।
- 15. श्री विजय गुप्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह बताया है कि अभियुक्त जगन की मृत्यु विचारण काल में हो गई थी। अभिलेख पर मुन्नालाल और संतराम के सजा वारंट संलग्न है। इन दोनों ने अपील पेश की है। विचारण न्यायालय के अभिलेख की आदेशिका दिनांक 27.01.2011 के अनुसार दिनांक 04.10.2010 की पेशी तारीख के जारी गिरप्तारी वारंट पर आरोपी जगन की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्राप्त हुआ है। उस दिनांक को

पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। छायाप्रति को थाना प्रभारी बिरसा द्वारा प्रमाणित किया गया है। जिस पर संदेह का कारण नहीं है। श्रीमती कविता इनवाती, तत्कालीन न्या.मजि.प्र.श्रे. बैहर ने अभियुक्त जगन को दिनांक 27.01. 2011 को मृत घोषित किया है। निर्णय दिनांक 13.01.2015 के लगभग 04 साल पूर्व उसकी मृत्यु हो चुकी है।

- 16. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और अरूण कुमार (अ.सा. 3), धनपाल (अ.सा.4), एस.पी. सिसोदिया (अ.सा.5), रमेश (अ.सा.6), वाल्मिकी बंसोड़ (अ.सा.7) की संपूर्ण साक्ष्य से इन दोनों अपीलार्थीगण के आधिपत्य से शेर का चमड़ा जप्त नहीं हुआ है। इस साक्ष्य का अभाव है कि आरोपी जगन के आधिपत्य में वन्य प्राणी शेर का चमड़ा था, का ज्ञान अपीलार्थीगणों को था, यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।
- अतः अपीलार्थीगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है और अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 13.01.2015 अपास्त किया जाता है।
- 18. अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक कमांक 862 / 68, 69 दिनांक 19.02.2015 द्वारा दस—दस हजार रूपए कुल 20,000 / —रूपए जमा किये है। अपील अवधि पश्चात् उक्त राशि अपीलार्थीगण के खाते में ई—भुगतान द्वारा प्रदान की जावे।
- 19. विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के पद क्रमांक 21 में जप्त संपत्ति शेर का चमड़ा और थैलियाँ अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।
- 20. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने प्रेषित किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

> सही / – (माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया।

सही / – **(माखानलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर